
परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1 भाग क
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय						
क. सामान्य आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण			आँकड़ा		
1	क्षेत्रफल			79,716 वर्ग कि.मी		
2	जनसंख्या					
	क.	2011		3.33 करोड़		
	ख.	2022		3.90 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) अखिल भारतीय जनघनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व ² (2021 के अनुमानित जनसंख्या के अनुसार) अखिल भारतीय जनघनत्व = 418.43 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		488.85 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (2011-12) ³ (अखिल भारतीय औसत = 21.92%)			36.96 प्रतिशत		
5	साक्षरता ⁴ (अखिल भारतीय औसत = 73%)			66.40 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर ⁵ 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म)			25		
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁶ (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.7 वर्ष)			69.40 वर्ष		
7	मानव विकास सूचकांक ⁷					
	क.	2020 (अखिल भारतीय = 0.642)		उपलब्ध नहीं		
	ख.	2021 (अखिल भारतीय = 0.633)		उपलब्ध नहीं		
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2021-22 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁸			₹ 3,63,085 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)		झारखण्ड	5.80 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	6.84 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2012-13 से 2021-22)		झारखण्ड	7.79 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	10.11 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)		झारखण्ड	16.15 प्रतिशत		
			अखिल भारतीय	12.12 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आँकड़ा						
क्र.सं.	विवरण		आँकड़े (प्रतिशत में)			
			वृद्धि		2019-20 से 2020-21	
			सामान्य राज्य	झारखण्ड	सामान्य राज्य	झारखण्ड
1	क.	राजस्व प्राप्तियों का	-4.12	-3.88	25.60	24.17
2	ख.	स्वयं कर राजस्व का	-4.06	0.65	25.62	26.12
3	ग.	गैर कर राजस्व का	-34.63	-13.55	45.46	32.61
4	घ.	कुल व्यय का	4.99	6.92	13.96	3.50
5	ड.	पूँजीगत व्यय का	-2.09	17.93	25.59	-8.49
6	च.	पूँजी परिव्यय	-2.84	-14.31	उपलब्ध नहीं	10.80
7	छ.	ऋण एवं अग्रिम संवितरण	2.31	1943.16	1.22	-56.72
8	ज.	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	-0.90	3.33	11.47	10.99
9	झ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.29	24.84	19.71	24.40
10	ञ.	वेतन एवं मजदूरी का	2.83	0.41	11.23	8.49
11	ट.	पेंशन का	6.48	13.19	11.88	12.00

¹ सेन्सस इन्फो इंडिया 2011, कुल अंतिम जनसंख्या

² सेन्सस इन्फो इंडिया 2011 (जनसंख्या अनुमान 2011-36)

³ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

⁴ सेन्सस 2011

⁵ एसआरएस बुलेटिन

⁶ एसआरएस अग्रिज्ड लाइफ टेबल 2015-19

⁷ यूएनडीपी रिपोर्ट एचडीआर 2020

⁸ आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड

परिशिष्ट 1.1 भाग ख
सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा
(सन्दर्भ : कंडिका 1.4)

सरकारी लेखाओं की संरचना: राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।	
भाग I : संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।	
भाग- II : आकस्मिकता निधि:- संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।	
भाग- III : लोक लेखा: कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।	
भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास	
विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरण-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2021-22 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2022 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

परिशिष्ट 2.1
वर्ष 2021-22 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार
(संदर्भ: कंडिका 2.2)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2020-21		2021-22	2020-21		2021-22				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल		
56,149.73	I. राजस्व प्राप्तियाँ	69,721.86	59,263.59	I. राजस्व व्यय	30,617.80	32160.11	62,777.91	62,777.91	
16,880.08	कर राजस्व	21,289.61	19,902.67	सामान्य सेवाएँ	21,353.61	201.69	21,555.30		
			23,347.07	सामाजिक सेवाएँ	7,195.85	17,443.48	24,639.33		
7,564.01	कर-भिन्न राजस्व	10,030.75	10,052.00	शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	5,859.00	5,315.19	11,174.19		
			3,483.65	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,321.76	3,012.41	4,334.17		
19,712.23	संघीय करों में राज्य के हिस्से	27,734.64	3,735.31	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	271.07	2,902.55	3,173.62		
2,990.50	वित्त आयोग अनुदान	2,198.3	131.92	सूचना एवं प्रसारण	89.8	89.67	179.47		
2,164.06	राज्य को अन्य अनुदान	1,891.4	911.79	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	134.62	940.15	1074.77		
6,838.85	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	6,577.16	222.01	श्रम एवं श्रम कल्याण	52.97	129.12	182.09		
			4,778.51	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	-566.44	5,054.39	4,487.95		
			31.88	अन्य	33.07	0	33.07		
			16,013.85	आर्थिक सेवाएँ	2,068.34	14,514.94	16,583.28		
			2,084.37	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	653.54	2,880.43	3,533.97		
			8,238.31	ग्रामीण विकास	463.38	5,960.27	6,423.65		
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00		
			366.53	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	371.44	1.43	372.87		
			2,022.47	उर्जा	3.85	3,804.45	3,808.30		
			245.78	उद्योग एवं खनिज	59.48	270.23	329.71		
			749.38	परिवहन	292.26	150.79	443.05		
			0.00	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0.00		
			2,307.01	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	224.39	1,447.34	1,671.73		
			0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0		
			59,263.59	कुल	30,617.80	32,160.11	62,777.91		
3,113.86	II. खण्ड-ख में ले जाया गया राजस्व घाटा		0.00	II. राजस्व आधिक्य खण्ड ख				6,943.95	
59,263.59	कुल	69,721.86	59,263.59	कुल				69,721.86	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

प्राप्तियाँ					संवितरण				
2020-21		2021-22	2020-21		2021-22				
भाग- ख									
3,463.48	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित	3,720.32	0		III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	8,465.66		IV. पूँजीगत परिव्यय	0.00	9,376.90	9,376.90	9,376.90
			770.92		सामान्य सेवाएँ	0	734.3	734.30	
			1,491.46		सामाजिक सेवाएँ	0.00	1,595.26	1,595.26	
			94.87		शिक्षा, क्रीडा, कला एवं संस्कृति	0.00	94.34	94.34	
			586.13		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	488.68	488.68	
			480.34		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0.00	590.28	590.28	
			0		सूचना एवं प्रसारण	0.00	0	0.00	
			269.28		अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	364.42	364.42	
			5.29		सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	11.92	11.92	
			55.55		अन्य	0.00	45.62	45.62	
			6,203.28		आर्थिक सेवाएँ	0.00	7,047.34	7,047.34	
			75.78		कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0.00	353.73	353.73	
			1,283.49		ग्रामीण विकास	0.00	1,142.75	1,142.75	
			0		विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0	0.00	
			1,046.31		सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.00	1,204.26	1,204.26	
			626		ऊर्जा	0.00	87.52	87.52	
			7.76		उद्योग और खनिज	0.00	1,002.00	1,002.00	
			3,120.33		परिवहन	0.00	3,202.12	3,202.12	
			43.61		सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.00	54.96	54.96	
48.78	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,291.73	3,379.77		V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	50.41	1,412.57	1,462.98	1,462.98
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	1,246	3,352.4		ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	1,412.57	1,412.57	
48.54	सरकारी सेवकों से	45.73	4.46		सरकारी सेवकों को	31.68	0	31.68	
0.24	अन्य से	0	22.91		अन्य को	18.73	0.00	18.73	
0	VI. नीचे लाया गया राजस्व आधिक्य	6,943.95	3,113.86		VI. नीचे लाया गया राजस्व घाटा				0
13,546.58	VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,839.87	2,744.82		VII. लोक ऋण की पुर्णभुगतान		4,247.08	4,247.08	
0	वाह्य ऋण	0	0		वाह्य ऋण		0	0	

प्राप्तियाँ				संवितरण			
2020-21		2021-22		2020-21		2021-22	
10,958.31	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	6,594.22		2,546.88	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण		4,012.80
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत निवल लेनदेन		0
0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	0		0	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन		0
2,588.27	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	3,245.65		197.94	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम का पुर्णभुगतान		234.28
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0		VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय		0
28,511.48	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		24,643.60	24,145.89	X. लोक लेखा संवितरण		25,779.81
1,179.21	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,172.2		1,201.67	छोटे बचत एवं भविष्य निधि		1,365.41
1,377.12	रक्षित निधि	825.60		604.75	रक्षित निधि		1,205.51
303.87	कर्णांकित निधियों में निवेश	200.00					
863.42	उचत एवं विविध	143.76		809.95	उचत एवं विविध		170.86
8,118.09	प्रेषण	8,159.71		8,073.94	प्रेषण		8,173.53
16,669.77	जमा एवं अग्रिम	14,142.33		13,455.58	जमा एवं अग्रिम		14,864.50
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन		0
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष		0	3,720.32	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष		5,572.70
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण		0.00
				160.55	रिजर्व बैंक में जमा		149.37
				44.7	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		38.83
				703.87	कर्णांकित निधि का निवेश		903.87
				2,811.20	रोकड़ शेष का निवेश		4,480.63
1,04,833.91	कुल		1,16,161.33	1,04,833.91	कुल		1,16,161.33

परिशिष्ट 2.2
राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े
(संदर्भ: कंडिका 2.3.2.1 व 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग - क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	52,756	56,152	58,417	56,150	69,722
कर राजस्व	12,353	14,752	16,771	16,880	21,290
वस्तु एवं सेवा कर	4,124	8,201	8,418	7,931	9,557
कृषि आय पर कर	-	-	0	0	0
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,715	3,475	3,996	4,301	5,213
राज्य उत्पाद	841	1,083	2,009	1,821	1,807
वाहनों पर कर	779	864	1,129	976	1,263
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	469	451	560	708	987
भू-राजस्व	156	389	338	873	1,621
माल एवं यात्रियों पर कर	0	0	0	0	0
अन्य कर	270	289	321	270	841
(ii) कर भिन्न राजस्व	7,847	8,258	8,750	7,564	10,031
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	21,144	23,906	20,593	19,712	27,735
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	11,412	9,236	12,303	11,993	10,667
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	25	0	0	0	0
3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली	42	47	49	49	1,292
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	52,824	56,199	58,466	56,199	71,014
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	8,137	7,803	9,593	13,547	9,840
आंतरिक ऋण (अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,905	7,531	9,167	10,958	6,594
अर्थापय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	232	273	426	2,588	3,246
6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	60,960	64,002	68,059	69,745	67,281
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	27,833	25,410	33,243	28,511	24,644
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	86,370	97,245	1,01,302	98,256	91,925
भाग - ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	50,952	50,631	56,457	59,264	62,778
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	22,999	23,983	27,627	28,370	32,160
गैर योजना/स्थापना	27,953	26,648	28,830	30,894	30,618
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	16,558	17,656	18,714	19,903	21,555
सामाजिक सेवाएँ	19,575	18,786	21,448	23,347	24,639
आर्थिक सेवाएँ	14,819	14,189	16,294	16,014	16,583
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	1	0	0
11. पूँजीगत व्यय	11,953	10,712	9,879	8,466	9,377
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	11,884	10,669	9,832	8,401	9,377
गैर योजना/स्थापना	69	42	47	65	0
सामान्य सेवाएँ	807	791	1,239	771	734
सामाजिक सेवाएँ	1,528	1,616	1,431	1,492	1,595
आर्थिक सेवाएँ	9,618	8,305	7,209	6,203	7,047

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	1,852	1,485	165	3,380	1,463
13. कुल व्यय(10+11+12)	64,756	62,828	66,501	71,109	73,618
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2,950	3,060	4,231	2,745	4,247
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,788	2,893	4,058	2,547	4,013
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0	0	0	0	0
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	161	167	173	198	234
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0	0	0	0	0
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	67,706	65,888	70,732	73,854	77,865
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0	0	0	0	0
18. लोक लेखा संवितरण	22,885	23,279	27,903	24,146	25,780
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	90,591	89,167	98,635	98,000	1,03,645
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	1,804	5,521	1,960	-3,114	6,944
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-11,933	-6,629	-8,035	-14,911	2,604
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	-7,271	-1,777	-2,727	-9,120	3,682
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
प्राथमिक राजस्व शेष (गैर-ऋण प्राप्त -प्राथमिक राजस्व व्यय)	6,534	10,420	7,317	2,725	14,522
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	4,662	4,852	5,308	5,790	6,286
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	20,714	17,976	19,191	20,078	19,630
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	7	68	16	0	16
उपभोगित अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	7	58	16	0	16
उपभोगित ओवरड्राफ्ट (दिन)	0	10	0	0	0
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0	6	4	0	46
27 ((क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079	3,63,085
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,10,587	2,29,274	2,38,395	2,27,082	2,47,011
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	77,095	83,783	94,407	1,09,185	1,13,483
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157	607	607	607	607
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157	450	450	607	607
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	113	410	378	374	274
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरूढ़ पूँजी	1,403	3,818	3,828	4,669	4,040
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
संसाधन संग्रहण					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.58	4.83	5.22	5.32	5.86
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.87	6.43	7.03	7.43	8.62
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.91	2.70	2.72	2.39	2.76
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.73	3.60	3.67	3.33	4.06
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.84	7.82	6.41	6.22	7.64
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.42	4.03	5.16	5.28	4.32

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	24.00	20.55	20.71	22.43	20.28
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	30.75	27.40	27.90	31.31	29.80
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	122.75	111.89	113.84	126.64	105.59
राजस्व व्यय/कुल व्यय	78.68	80.59	84.90	83.34	85.28
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	32.64	32.47	34.44	34.96	35.66
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	40.46	35.84	35.48	35.96	34.02
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	18.46	17.05	14.86	11.91	12.74
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	17.21	15.79	12.99	10.82	11.74
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.67	1.81	0.61	-0.98	1.91
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	0.86	2.41	0.82	-1.37	2.81
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.42	-2.17	-2.50	-4.70	-0.72
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.67	-2.89	-3.37	-6.57	-1.05
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-2.69	-0.58	-0.85	-2.88	1.01
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.45	-0.78	-1.14	-4.02	1.49
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-15.12	-83	-24	21	-267
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.42	3.41	2.28	0.86	4.00
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.10	4.54	3.07	1.20	5.88
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	28.57	27.41	29.40	34.43	31.26
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	36.61	36.54	39.60	48.08	45.94
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	146	149.21	161.61	194.45	162.76
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-288	3,622	-3,797	-16,110	-333
ऋण निर्माण (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					
निवेश पर आय	शून्य	*	शून्य	15	0
चालू राजस्व का शेष (₹ करोड़ में)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	111	118	118	112	118
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0	0	0	0	0
सरकारी कर्मचारी को ऋण एवं अग्रिम	56	47	53	4	32
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	32	23	24	23	16
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	1,764	1,462	89	3,352	1,415
परिसंपत्तियाँ	86,542	99,210	1,11,869	1,23,935	1,35,335
दायित्व	77,635	84,382	95,080	1,10,260	1,14,717

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घाटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त किये गये।

* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.3

31 मार्च 2022 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 को	दायित्व	31.03.2022 को
71,956.90	आंतरिक ऋण	74,538.31
51,666.74	ब्याज सहित बाजार ऋण	55,412.65
0.04	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
5.59	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
13,497.64	अन्य संस्थाओं से ऋण	13,102.63
0.00	अर्थोपाय अग्रिम	0.00
6,786.89	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	6,017.40
0.00	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0.00
4,981.85	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	7,993.22
0.00	1984-85 के पूर्व के ऋण	0.00
12.27	गैर योजना ऋण	10.52
4,969.58	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	7,982.70
500.00	आकस्मिकता निधि	500.00
1,194.40	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,001.19
24,331.45	जमा	23,609.29
7,024.26	रक्षित निधि	6,844.35
126.45	अंतरण शेष	112.64
144.75	उचत एवं विविध शेष	117.65
13,674.83	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	20,618.78
1,23,934.89	कुल	1,35,335.43
	परिसम्पत्तियाँ	
96,017.68	अचल सम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	1,05,394.58
992.13	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	2,130.70
95,025.55	अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,03,263.88
	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0.00
24,177.23	ऋण एवं अग्रिम	24,348.48
23,294.27	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	23,460.84
899.07	अन्य विकास ऋण	917.80
-16.11	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	-30.16
19.66	अग्रिम	19.67
0.00	उचत एवं विविध शेष	0.00
3,720.32	नकद	5,572.70
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
160.55	रिजर्व बैंक में जमा	149.37
703.87	जमा निधि का निवेश	903.87
44.70	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	38.83
2,811.20	नकद शेष निवेश	4,480.63
0.00	प्रेषण शेष	0.00
0.00	सरकारी लेखे में घाटा	0.00
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
1,23,934.89	कुल	1,35,335.43

परिशिष्ट 3.1

मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: कंडिका 3.2.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	2,530.48	776.07
2	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	291.46	13.37	221.91	82.92
3	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	52.86	15.47	56.17	12.16
4	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	139.78	0.75	106.78	33.75
5	10-उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	3,983.54	519.38
6	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	61.94	2.07	43.29	20.72
7	17- वाणिज्यकर विभाग	118.22	1.18	74.96	44.44
8	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	1,406.67	798.31
9	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	869.21	139.27	742.18	266.30
10	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	4,324.74	1,574.89
11	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5,864.16	108.58	5,602.89	369.85
12	23- उद्योग विभाग	369.03	59.51	286.79	141.75
13	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	377.89	9.38	200.11	187.16
14	27- विधि विभाग	419.95	71.85	402.59	89.21
15	32-विधान सभा	117.15	5.19	112.38	9.96
16	33- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	46.51	14.85	47.97	13.39
17	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	140.27	1.70	113.60	28.37
18	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	966.61	744.73
19	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	689.04	18.14	524.25	182.93
20	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	5,165.31	2,441.23
21	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	255.12	34.61	115.97	173.76
22	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	187.39	33.99	171.21	50.17
23	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,440.19	514.17
24	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,080.74	553.29
25	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	135.60	11.52	76.86	70.26
26	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	136.20	0.99	91.88	45.31
27	54- कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	179.40	2.00	97.50	83.90
28	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.88	467.27	1,527.78
29	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	803.64	1,859.83
30	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	3,000.92	25.00	2,470.32	555.60

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
31	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	6,812.06	1,668.57
32	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	4,461.58	1,203.19
	कुल	56,136.63	6,509.16	46,002.44	16,643.35
राजस्व (भारित)					
33	28- झारखण्ड उच्च न्यायालय	113.03	7.63	108.33	12.33
	कुल	113.03	7.63	108.33	12.33
पूँजीगत (दत्तमत)					
34	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	218.25	0.96	204.28	14.93
35	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	25.00	2.50	6.26	21.24
36	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	78.00	29.00	91.42	15.58
37	10-उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	1,500.09	1,142.86
38	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	398.20	160.00	488.68	69.52
39	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	476.80	135.50	453.19	159.11
40	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	69.06	5.25	51.97	22.34
41	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	122.20	15.48	89.87	47.81
42	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	495.64	20.00	500.33	15.31
43	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रौद्योगिकी प्रभाग)	151.60	1.48	55.36	97.72
44	49- जल संसाधन विभाग	1,000.10	511.25	1,173.74	337.61
45	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	124.20	1.43	30.52	95.11
46	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	366.40	2.60	274.55	94.45
47	52- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	28.00	11.00	30.48	8.52
48	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	679.70	4.16	642.43	41.43
	कुल	5,995.15	1,781.56	5,593.17	2,183.54
पूँजीगत (भारित)					
49	14- ऋण की वापसी/अदायगी	4,289.13	71.00	4,247.08	113.05
	कुल	4,289.13	71.00	4,247.08	113.05
	कुल योग	66,533.94	8,369.35	55,951.02	18,952.25

परिशिष्ट 3.2
अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग
(संदर्भ: कंडिका 3.2.4)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	बचत	आधिक्य
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल			
1	2	2403-00-113-01 स्थापना स्टेट लाईभ स्टॉक रिसर्च इस्टि्यूट	5.81	-	(+)0.50	6.31	6.18	0.13	-
2	3	2059-80-001-12-बाह्य स्रोत से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर, चालक आदि	3.50	-	(+)0.75	4.25	2.90	1.35	-
3		2059-80-053-07 दैनिक कर्मचारियों का वेतन	0.20	-	(+)0.10	0.30	0.26	0.04	-
4	7	2070-00-104-03 तकनीकी जाँच शाखा	1.79	-	(+)0.13 (-)0.01	1.91	1.83	0.08	-
5	9	2425-00-003-01 कर्मचारियों का प्रशिक्षण	1.14	-	(+)0.22	1.36	1.35	0.01	-
6		3451-00-090-05-सहकारिता विभाग	2.70	-	(+)0.21	2.91	2.74	0.17	-
7	12	2052-00-090-08 वित्त विभाग	13.38	1.33	(+)0.50	15.21	13.55	1.66	-
8	17	2040-00-101-02 जिला प्रभार	87.59	1.01	(+)1.00	89.60	55.71	33.89	-
9	22	2070-00-107-02-शहरी	1.18	-	(+)0.25	1.43	1.30	0.13	-
10	41	3054-80-001-02 कार्यान्वयन	100.20	-	(+)0.35	100.55	77.59	22.96	-
11	42	2501-06-796-20 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	0.20	-	(+)0.04	0.24	0.17	0.07	-
12	51	4225-02-796-37-जाहेरस्थान/हड़गड़ी/मसना/सरना की चारदीवारी का मरम्मतकीकरण तथा घेरा बंदी	130.00	1.00	(+)40.95	171.95	134.76	37.19	-
13	52	2205-00-101-38 स्थापना सांस्कृतिक निदेशक	0.44	0.10	(+)0.05	0.59	0.51	0.08	-
14	56	2515-00-196-66 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)37.47	37.47	0.00	37.47	-
15		2515-00-197-67 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)56.21	56.21	0.00	56.21	-
16		2515-00-198-68 पंद्रहवी वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान	0.00	*	(+)281.03	281.03	0.00	281.03	-
कुल			348.13	3.44	419.75	771.32	298.85	485.47	-

*अनुपूरक प्रावधान मात्र ₹1,000

परिशिष्ट 3.3

वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)

(संदर्भ: कडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	10- उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
3	14-ऋण की पुनर्भुगतान	472	0	472.00	200	272.00	0
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	266.19
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1,573.39
7	22 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	5,864.16	108.58	5,972.74	5,602.89	369.85	370.33
8	23-उद्योग विभाग	369.03	59.51	428.54	286.79	141.75	141.72
9	26- श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	377.89	9.38	387.27	200.11	187.16	187.17
10	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
11	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
12	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	689.04	18.14	707.18	524.25	182.93	183.07
13	41- पथ निर्माण विभाग	550.85	0.14	550.99	289.34	261.65	252.67
14	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
15	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (प्रौद्योगिकी प्रभाग)	255.12	34.61	289.73	115.97	173.76	173.76
16	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
17	49- जल संसाधन विभाग	428.25	0.32	428.57	310.55	118.02	118.02
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
19	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
20	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
21	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	3,000.91	25	3,025.91	2,470.32	555.59	555.60

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
22	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.8	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
23	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.9	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
	कुल	58,186.18	6,335.19	64,521.37	45,901.16	18,620.21	18,268.94
पूँजीगत							
24	3- भवन निर्माण विभाग	505	0	505	334.24	170.76	170.76
25	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
26	14-ऋण की वापसी/अदायगी	4289.13	71	4360.13	4247.08	113.05	0
27	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	476.8	135.51	612.31	453.19	159.12	159.33
28	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	746.98	0	746.98	505.11	241.87	242.16
29	41- पथ निर्माण विभाग	3,480.00	0	3480	3,143.07	336.93	336.94
30	49- जल संसाधन विभाग	1,000.10	511.25	1,511.35	1,173.74	337.61	337.56
	कुल	12,260.01	1,598.71	13,858.72	11,356.52	2,502.2	2,389.61
	कुल योग	70,446.19	7,933.90	78,380.09	57,257.68	21,122.41	20,658.55

परिशिष्ट 3.4
वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक)
(संदर्भ: कंडिका 3.2.5.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)							
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	10 - उर्जा विभाग	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
3	18- खादय, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
4	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1573.39
5	36 - पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
6	39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
7	42 - ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
8	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
9	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
10	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
11	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
12	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	3,000.91	25.00	3,025.91	2,470.32	555.59	555.59
13	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं कक्षा शिक्षा प्रभाग)	8,447.83	32.80	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
14	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	5,253.87	410.90	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
	कुल	48,310.63	5,965.24	54,275.87	37,629.08	16,646.79	16,576.00
पूँजीगत							
15	10- उर्जा विभाग	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
	कुल	1,762.00	880.95	2,642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
	कुल योग	50,072.63	6,846.19	56,918.82	39,129.17	17,789.65	17,718.86

परिशिष्ट 3.5
मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि
(संदर्भ: कंडिका 3.2.6)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि
राजस्व							
1	1	2,970.84	335.71	3,306.55	2,530.48	776.07	776.21
2	2	291.46	13.37	304.83	221.91	82.92	82.92
3	3	128.78	0	128.78	94.83	33.95	33.97
4	4	52.86	15.47	68.33	56.17	12.16	12.03
5	9	139.78	0.75	140.53	106.78	33.75	33.62
6	10	2,604.73	1,898.19	4,502.92	3,983.54	519.38	519.37
7	12	61.94	2.07	64.01	43.29	20.72	20.67
8	17	118.22	1.18	119.40	74.96	44.44	44.44
9	18	2,034.43	170.55	2,204.98	1,406.67	798.31	782.31
10	19	869.21	139.27	1,008.48	742.18	266.30	266.19
11	20	4,035.01	1,864.62	5,899.63	4,324.74	1,574.89	1,573.39
12	21	1,392.13	112.46	1,504.59	1,534.91	-30.32	69.68
13	22	5,864.16	108.58	5,972.74	5,602.89	369.85	370.33
14	23	369.03	59.51	428.54	286.79	141.75	141.72
15	26	377.89	9.38	387.27	200.11	187.16	187.17
16	27	419.95	71.85	491.80	402.59	89.21	89.21
17	28	113.03	7.63	120.66	108.34	12.32	12.33
18	29	70.88	0.49	71.37	49.63	21.74	21.74
19	32	117.15	5.19	122.34	112.38	9.96	27.97
20	33	46.51	14.85	61.36	47.97	13.39	13.39
21	35	140.27	1.7	141.97	113.6	28.37	28.03
22	36	2,625.19	0.49	2,625.68	715.93	1,909.75	1,909.44
23	38	29.71	0.02	29.73	16.37	13.36	13.36
24	39	1,264.56	446.78	1,711.34	966.61	744.73	744.62
25	40	689.04	18.14	707.18	524.25	182.93	183.07
26	41	550.85	0.14	550.99	289.34	261.65	252.67
27	42	7,148.89	457.65	7,606.54	5,165.31	2,441.23	2,441.34
28	43	255.12	34.61	289.73	115.97	173.76	173.76
29	45	187.39	34	221.39	171.21	50.18	50.17
30	46	119.71	0.4	120.11	79.21	40.90	40.9
31	47	191.95	0	191.95	161.39	30.56	30.56
32	48	2,796.12	158.24	2,954.36	2,440.19	514.17	514.17
33	49	428.25	0.32	428.57	310.55	118.02	118.02
34	50	115.03	0	115.03	71.24	43.79	43.79
35	51	1,536.87	97.16	1,634.03	1,080.74	553.29	553.28
36	52	135.59	11.52	147.11	76.86	70.25	70.25
37	53	136.2	0.99	137.19	91.88	45.31	45.32

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक	बचत (-) / आधिक्य (+)	प्रत्यर्पित राशि
38	54	179.4	2	181.40	97.5	83.90	83.9
39	55	1,974.17	20.89	1,995.06	467.27	1,527.79	1,527.78
40	56	2,617.21	46.26	2,663.47	803.64	1,859.83	1,859.93
41	58	3,000.91	25	3,025.91	2,470.32	555.59	555.6
42	59	8,447.83	32.8	8,480.63	6,812.06	1,668.57	1,668.64
43	60	5,253.87	410.9	5,664.77	4,461.58	1,203.19	1,149.93
कुल		61,902.12	6,631.13	68,533.25	49,434.18	19,099.07	19,137.19
पूँजीगत							
1	1	218.25	0.96	219.21	204.28	14.93	14.93
2	2	25.00	2.50	27.50	6.26	21.24	21.24
3	3	505.00	0.00	505.00	334.24	170.76	170.76
4	8	40.39	0.00	40.39	1.23	39.16	39.16
5	9	78.00	29.00	107.00	91.42	15.58	15.58
6	10	1,762.00	880.95	2642.95	1,500.09	1,142.86	1,142.86
7	12	85.00	0.00	85.00	33.28	51.72	51.72
8	18	74.97	0.00	74.97	39.25	35.72	35.72
9	20	398.20	160.00	558.20	488.68	69.52	69.52
10	22	476.80	135.51	612.31	453.19	159.11	159.33
11	26	69.06	5.25	74.31	51.97	22.35	22.35
12	30	122.20	15.48	137.68	89.87	47.81	47.81
13	36	746.98	0.00	746.98	505.11	241.86	242.16
14	41	3,480.00	0.00	3,480.00	3,143.07	336.93	336.93
15	42	495.64	20.00	515.64	500.33	15.31	15.31
16	43	151.60	1.48	153.08	55.36	97.72	97.72
17	46	71.00	0.00	71.00	54.95	16.05	16.05
18	49	1,000.10	511.25	1,511.35	1,173.74	337.61	337.56
19	50	124.20	1.43	125.63	30.52	95.11	95.11
20	51	366.40	2.60	369.00	274.55	94.45	94.45
21	53	24.63	0.00	24.63	12.03	12.60	12.60
22	55	679.70	4.16	683.86	642.43	41.43	41.43
23	60	70.95	0.00	70.95	11.92	59.03	59.03
कुल		11,066.07	1770.57	12,836.64	9,697.77	3,138.86	3,139.33
कुल योग		72,968.19	8,401.70	81,369.89	59,131.95	22,237.94	22,276.52

परिशिष्ट 3.6
पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित
(संदर्भ: कंडिका 3.2.7.2)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
2019-20	13	ब्याज भुगतान	120.64
2019-20	15	पेंशन	192.68
2020-21	13	ब्याज भुगतान	144.95
कुल			3,473.63

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।

परिशिष्ट 3.7

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया
(संदर्भ: कंडिका 3.3.3)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
1.	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-102-एओ(सीएस)	1.80	
2.		2401-102-एओ(एसएस)	1.20	
3.		2401-00-102-बीजे	1.50	3.00
4.		2401-00-104 बीबी	3.00	
5.		2401-00-105-बी2	15.00	
6.		2401-109-28 (सीएस)	18.00	
7.		2401-00-109-28(एसएस)	12.00	
8.		2401-00-115-बी9	1.50	
9.		2401-00-115-बीएल	2.10	
10.		2401-00-115-बीओ	13.20	
11.		2401-00-789-28 (सीएस)	6.00	
12.		2401-00-789-28(एसएस)	4.00	
13.		2401-00-789-बी2	5.00	
14.		2401-00-789-बीबी	1.00	
15.		2401-00-789-बीओ	4.23	
16.		2401-00-796-28 (सीएस)	36.00	
17.		2401-00-796-28 (एसएस)	24.00	
18.		2401-796-एओ(सीएस)	3.60	
19.		2401-00-796-एओ(एसएस)	2.40	
20.		2401-00-796-बी2	30.00	
21.		2401-00-796-बी9	3.00	
22.		2401-00-796-बीबी	6.00	
23.		2401-00-796-बीजे	3.00	
24.		2401-00-796-बीएल	4.20	
25.		2401-00-796-बीओ	28.40	
26.	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	2403-00-101-ए4(सीएस)	2.27	
27.		2403-00-101-ए4(एसएस)	1.51	
28.		2403-00-101-ए5	1.00	
29.		2403-00-101-एडी(सीएस)	1.00	
30.		2403-00-111-84	2.00	
31.		2403-00-789- ए4(सीएस)	1.51	
32.		2403-00-789-ए4(एसएस)	1.01	
33.		2403-00-796-एए	6.00	
34.		4403-00-101-07	1.50	
35.		4403-00-106-06	2.00	
36.		4403-00-796-06	1.50	
37.		4403-00-796-23	1.50	
38.	3- भवन निर्माण विभाग	4216-01-106-03	1.00	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
39.	8- परिवहन विभाग (नागर विमानन प्रभाग)	5053-02-102-05	3.53	
40.		5053-02-102-09	24.00	
41.	10- उर्जा विभाग	2801-05-052-03	15.50	
42.		2801-05-052-07	93.00	
43.		2801-05-789-03	3.00	
44.		2801-05-796-03	6.50	
45.		2801-06-052-01	1.00	
46.		2801-06-052-02	1.00	
47.		2801-06-052-04	204.60	
48.		2801-06-789-04	39.60	
49.		2801-06-796-04	85.80	
50.		2801-80-796-18	10.00	
51.		4801-05-190-02	170.00	
52.		6801-00-201-24	5.00	
53.		6801-00-205-23	48.98	
54.		6801-00-205-34	55.80	
55.		6801-00-789-23	9.48	
56.		6801-00-789-34	10.80	
57.		6801-00-796-23	20.54	
58.		6801-00-796-34	23.40	
59.	12- योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2075-00-791-02	5.50	
60.	17- वाणिज्यकर विभाग	2040-00-001-18	3.00	
61.	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-03	2.05	
62.		3456-00-102-35	1.85	
63.		3456-00-102-43	7.40	
64.		3456-00-102-71	16.76	
65.		3456-00-102-72	7.40	
66.		3456-00-789-43	2.60	
67.		3456-00-789-71	5.36	
68.		3456-00-789-72	2.60	
69.		3456-00-796-03	2.45	
70.		3456-00-796-35	2.50	
71.		3456-00-796-43	10.00	
72.		3456-00-796-71	18.88	
73.		3456-00-796-72	10.00	
74.		19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-101-57	1.00
75.	2406-01-101-72		4.00	
76.	2406-01-102-63		2.05	
77.	2406-01-102-63		1.36	
78.	2406-01-102-65		2.98	
79.	2406-01-102-65		1.98	
80.	2406-01-110-49		3.00	
81.	2406-01-110-49		2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
82.		2406-01-796-15	12.00	
83.		2406-01-796-48	10.00	
84.		2406-01-796-65	1.25	
85.		2406-04-103-06	2.50	
86.		2210-01-110-62	2.15	
87.		2210-01-110-62	1.43	
88.		2210-01-110-90		100.00
89.		2210-01-110-91		100.00
90.		2210-01-110-91		70.00
91.		2210-01-789-90		17.84
92.		2210-01-789-91		28.85
93.		2210-01-789-91		19.23
94.		2210-01-796-90		30.00
95.		2210-01-796-91		50.00
96.		2210-01-796-91		30.00
97.		2210-02-789-27	1.23	4.78
98.	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-02-796-27	2.67	10.35
99.		2210-05-101-17	4.75	
100.		2210-05-105-16	3.12	
101.		2210-05-105-16	2.08	
102.		2210-05-105-28	1.00	
103.		2210-05-796-28	1.00	
104.		2210-06-101-21	2.00	
105.		2210-06-112-19		1.82
106.		2210-06-796-19		1.00
107.		4210-01-110-31	2.00	
108.		4210-01-110-42	1.46	
109.		4210-01-110-49	30.00	
110.		4210-01-110-49	20.1	
111.		2055-00-104-01	00	1.01
112.		2235-00-207-16	6.50	
113.	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-16	8.00	
114.		4070-00-796-83	1.00	
115.		4070-00-800-65	2.44	
116.		4070-00-800-65	1.36	
117.		2851-00-102-61	6.00	
118.		2851-00-103-60	1.00	
119.		2851-00-789-64	1.00	
120.	23- उद्योग विभाग	2852-80-102-10	25.00	
121.		2852-80-102-19	4.00	
122.		2852-80-102-65	1.00	
123.		2852-80-102-89	10.00	
124.		2852-80-102-89	5.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
125.		2852-80-796-19	10.00	
126.		2852-80-796-65	7.00	
127.		2852-80-796-74	5.50	
128.		2852-80-796-89 (सीएस)	10.00	
129.		2852-80-796-89 (एसएस)	5.00	
130.	24- सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	2220-01-796-03	1.00	
131.		2230-01-789-45	2.24	
132.	26- श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं दक्षता विभाग	2230-01-796-45(सीएस)	2.00	
133.		2230-02-789-38	87.67	
134.		4225-80-277-20	1.00	
135.	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक प्रभाग)	4225-80-277-23	2.00	
136.		4225-80-796-21 (सीएस)	2.00	
137.		4225-80-796-23(एसएस)	4.00	
138.	35- योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	2053-00-796-40	1.00	
139.		3454-02-796-16	6.51	
140.		2215-01-102-10 (सीएस)	7.10	
141.		2215-01-789-10 (सीएस)	2.43	
142.		2215-01-789-11 (सीएस)	59.32	
143.	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-796- 10 (सीएस)	446.74	
144.		2215-01-796-11 (सीएस)	80.26	
145.		2215-02-107-11 (सीएस)	209.36	
146.		2215-02-107-11 (एसएस)	30.00	
147.	38- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	2030-02-101-02	1.00	
148.		2235-01-001-02		6.26
149.		2235-01-101-02	3.00	
150.		2245-01-101-03	50.00	
151.		2245-01-101-06	5.00	
152.		2245-01-101-07	50.00	
153.		2245-01-102-01	5.00	
154.		2245-01-102-02	11.00	
155.		2245-01-102-03	20.00	
156.		2245-01-102-04	1.00	
157.	39- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	2245-02-101-06	1.00	
158.		2245-02-101-07	1.00	
159.		2245-02-101-10 (सीएस)		200.00
160.		2245-02-104-01	00.00	2.00
161.		2245-02-106-01	2.00	
162.		2245-02-107-01	1.00	
163.		2245-02-109-02	1.00	
164.		2245-02-112-01	00.30	2.00
165.		2245-80-001-22	1.60	
166.		2245-80-102-02	9.56	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
167.	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभा (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-796-21	10.00	
168.		3454-01-101-05	1.00	
169.	41- पथ निर्माण विभाग	2075-00-791-01	10.00	
170.		2075-03-103-02	14.45	
171.		5054-03-52-06	1.75	
172.		5054-03-796-06	1.85	
173.		2501-02-101-06	14.70	
174.	2501-02-789-06	4.50		
175.	2501-02-796-06	10.80		
176.	2501-02-796-10	6.50		
177.	2501-06-101-14	31.16		
178.	2501-06-101-14	20.77		
179.	2501-06-102-22		8.10	
180.	2501-06-102-22		3.05	
181.	2501-06-102-24		6.00	
182.	2501-06-102-25		2.80	
183.	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2501-06-102-25		1.87
184.		2501-06-102-26		35.79
185.		2501-06-102-26		23.86
186.		2501-06-789-25		1.62
187.		2501-06-789-25		1.08
188.		2501-06-796-14	22.44	
189.		2501-06-796-14	14.96	
190.		2501-06-796-25		1.18
191.		2515-00-102-17	1.00	
192.		2515-00-789-48	19.45	
193.	2515-00-796-17	1.00		
194.	43- उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	2203-00-004-एड	7.40	
195.		2203-00-004-एजी	27.50	
196.		2203-00-796-ए5	6.50	
197.		2203-00-796-ए7	2.60	
198.		2203-00-796-एड	2.60	
199.		2203-00-796-एजी	10.00	
200.		4202-02-105-76	51.60	
201.	45- सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग	2203-00-001-86	1.00	
202.	46- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन विभाग)	3451-01-101-17	2.00	
203.		3451-01-101-18	1.00	
204.		3451-01-101-19	1.50	
205.		3452-01-190-11	2.50	
206.		3452-01-796-11	2.50	
207.		3452-01-796-19	1.50	
208.		3452-80-104-13	2.50	
209.		3452-80-104-18	2.00	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
210.		3452-80-796-13	2.50	
211.		3452-80-796-18	3.90	
212.		5452-80-104-72	4.50	
213.		5452-80-104-74	3.50	
214.		5452-80-796-72	3.50	
215.		5452-80-796-74	4.50	
216.		3055-00-796-02	3.00	
217.	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	3075-60-796-07	20.00	
218.		5055-00-190-23	2.00	
219.	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2055-00-796-26	5.00	
220.		2217-80-789-56	5.00	
221.	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-001-63	81.00	
222.		4701-80-796-63	110.25	
223.		2225-02-277-ए3	10.00	
224.		2225-02-277-ए4	15.00	
225.	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	2225-02-796-91	9.23	
226.	(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	4225-01-789-02	2.00	
227.		4225-01-789-02	2.00	
228.		4225-03-277-06	4.00	
229.		4225-03-796-02	1.70	
230.		4225-03-796-02	1.70	
231.		2204-00-104-52	1.50	
232.		2204-00-104-57	2.00	
233.		2204-00-104-58	6.00	
234.		2204-00-104-59	1.00	
235.		2204-00-140-61	1.5	
236.	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग)	2204-00-796-52	3.5	
237.		2204-00-796-57	3.00	
238.		2204-00-796-58	9.00	
239.		2204-00-796-59	3.00	
240.		2204-00-796-60	1.25	
241.		2204-00-796-61	1.50	
242.		2204-00-796-62	2.00	
243.		4202-03-102-21	2.00	
244.		4405-00-101-58	2.72	
245.	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-101-58	1.81	
246.		4405-00-796-77	3.00	
247.		4405-00-796-77	2.00	
248.		2404-00-102-73	3.6	
249.		2404-00-102-73	2.4	
250.	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	2404-00-102-74	2.4	
251.		2404-00-102-74	1.6	
252.		2404-00-102-76	2.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
253.		2404-00-796-73	1.62	
254.		2404-00-796-73	1.08	
255.		2515-00-102-41	240.00	
256.		2515-00-102-41	160.00	
257.	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-102-63	170.00	
258.		2515-00-796-41	360.00	
259.		2515-00-796-41	240.00	
260.		2515-00-796-63	180.00	
261.		2515-00-001-54	2.00	
262.	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	2515-00-001-56	8.20	8.20
263.		2515-00-001-56	5.80	5.80
264.		2515-00-101-04	20.00	
265.		2515-00-796-42	1.00	
266.	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (माध्यमिक शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-81	8.00	
267.		2202-02-789-81	4.00	
268.		2202-02-796-81	8.00	
269.	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	2235-02-101-32	1.83	
270.		2235-02-102-47	1.61	
271.		2235-02-102-47	1.08	
272.		2232-02-102-48	5.77	
273.		2235-02-102-53	1.03	
274.		2235-02-102-ए1	1.15	
275.		2235-02-103-64	1.16	
276.		2235-02-103- एडी	5.74	
277.		2235-02-103-एडी	3.81	
278.		2235-02-103-एएच	2.94	
279.		2235-02-103- एएल	7.35	
280.		2235-02-103-एएल	4.71	
281.		2235-02-796-47	1.75	
282.		2235-02-796-47	1.16	
283.		2235-02-796-48	6.23	
284.		2235-02-796-48	4.16	
285.		2235-02-796-64	1.16	
286.		2235-02-796- एडी	6.21	
287.		2235-02-796-एडी	4.14	
288.		2235-02-796-एएच	4.06	
289.		2235-02-796-एआय	1.25	
290.		2235-02-796-एएल	7.37	
291.		2235-02-796-एएल	5.10	
292.		2235-02-796-एवाय	1.20	
293.		2236-02-789-08	7.40	
294.		4235-02-101-78	20.95	
295.		4235-02-102-85	1.15	

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत परिव्यय	पुनरीक्षित व्यय
296.		4235-02-103-77	3.00	
297.		4235-02-103-77	2.00	
298.		4235-02-796-74	1.50	
299.		4235-02-796-77	3.00	
300.		4235-02-796-77	2.00	
301.		4235-02-796-85	1.25	
कुल			4,718.87	777.49

परिशिष्ट 3.8
व्यय का वेग
(संदर्भ: कंडिका 3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	मार्च	4थी तिमाही का योग	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च के व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	4 थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2406	301.83	438.70	694.33	43.47	63.18
2	4235	11.92	11.92	23.83	50.00	50.00
3	4401	0.11	5.47	10.95	0.97	50.00
4	4408	36.26	39.25	78.50	46.20	50.00
5	4853	1000.00	1000.00	2000.00	50.00	50.00
6	4885	2.00	2.00	4.00	50.00	50.00
7	5452	52.05	54.95	109.91	47.36	50.00
8	4070	5.64	5.69	11.42	49.38	49.80
9	4047	5.01	7.61	15.33	32.65	49.64
10	4250	8.54	44.85	90.48	9.43	49.57
11	4405	7.77	11.42	23.45	33.12	48.70
12	4402	166.47	187.41	386.22	43.10	48.52
13	2402	137.89	148.56	310.09	44.47	47.91
14	3452	22.67	69.67	146.64	15.46	47.51
15	2404	51.30	85.83	183.33	27.98	46.82
16	5055	30.68	33.03	70.85	43.30	46.62
17	4210	342.58	424.34	913.02	37.52	46.48
18	2236	435.98	463.45	1008.20	43.24	45.97
19	4055	358.35	379.78	828.84	43.23	45.82
20	4425	44.50	76.49	167.91	26.50	45.56
21	5053	0.34	0.95	2.18	15.50	43.48
22	2435	2.09	5.85	13.68	15.26	42.75
23	4059	130.97	202.44	474.22	27.62	42.69
24	2204	28.42	49.57	116.36	24.43	42.60
25	2217	1055.99	1770.55	4191.98	25.19	42.24
26	3451	120.86	127.40	302.13	40.00	42.17
27	4225	191.87	260.69	625.11	30.69	41.70
28	4711	6.26	19.78	47.80	13.09	41.37
29	2852	87.12	128.92	319.24	27.29	40.38
	कुल	4,645.47	6,056.57	13,170.00	35.27	45.99

परिशिष्ट 3.9
सम्पूर्ण बजट प्रावधान की अनुपयोगिता एवं अभ्यर्षण
(संदर्भ: कंडिका 3.5.8)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	आवंटन	व्यय	अभ्यर्षण	अभ्यर्षण (प्रतिशत में)	अभियुक्ति
1	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	पीआईयू का सुदृढीकरण (001-दिशा एवं प्रशासन)
2	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन
3	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत कर्मचारी/अधिकारी का प्रशिक्षण (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	003-प्रशिक्षण
4	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	240.00	0.00	240.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (102-सामुदायिक विकास)
5	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	160.00	0.00	160.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (102-सामुदायिक विकास)
6	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	170.00	0.00	170.00	100	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) 102-सामुदायिक विकास
7	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	पीआईयू का सुदृढीकरण (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
8	2515- न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम (राज्य योजना)	0.05	0.00	0.05	100	जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण और उन्नयन (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
9	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,केन्द्रांश)	360.00	0.00	360.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
10	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,राज्यांश)	240.00	0.00	240.00	100	पीएमजीएसवाई के तहत जेएसआरआरडीए को अनुदान (796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)
11	2515- राज्य प्रशिक्षण नीति (राज्य योजना) के अन्तर्गत कर्मिक/अधिकारी का प्रशिक्षण	0.05	0.00	0.05	100	796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
12	2515- पी.एम;जी.एस.वाई के तहत जे.एस.आर.आर.डी.ए. को अनुदान सी.ए.एस.,केन्द्रांश)	180.00	0.00	180.00	100	वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजनाएं (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) 796-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
13	2515- पीएमजीएसवाई/ एमएमजीएसवाई (राज्य योजना) के तहत सड़कों को जोड़ने के लिए एमएनपी भूमि अधिग्रहण	0.30	0.00	0.30	100	102- ग्रामीण विकास
14	2515- पीआईयू का एमएनपी सुदृढीकरण (राज्य योजना)	0.20	0.00	0.20	100	103- ग्रामीण विकास
15	2515- जेएसआरआरडीए का सुदृढीकरण	0.05	0.00	0.05	100	103- ग्रामीण विकास
16	2515- पीआईयू का एमएनपी सुदृढीकरण (राज्य योजना)	0.20	0.00	0.20	100	796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
कुल		1,351.05	0.00	1,351.05	100	

परिशिष्ट 3.10
वित्तीय वर्ष के अंत में राशि का अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका: 3.5.9)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला का नाम	कार्यालयों/प्रमण्डलों का नाम	कार्य/उप-शीर्षों की संख्या जिसमें अभ्यर्पण किया गया	आवंटन	व्यय	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण की तिथि
1	राँची	अवर सचिव, ग्रा.वि.वि. (कार्य प्रमण्डल) का कार्यालय	11	15.35	2.12	13.23 (45 से 100%)	31.03.2022
		का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	05	3.00	0.57	2.43 (73 से 100 %)	30.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	02	0.70	0.30	0.40 (54 एवं 100%)	30.03.22
2	हजारीबाग	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	04	11.89	6.24	5.65 (49 से 100%)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.65	0.10	0.55 (85%)	31.03.22
3	गिरिडीह	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	04	0.82	0.06	0.76 (58 से 100%)	31.03.22
4	धनबाद	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	02	2.60	1.12	1.48 (55 एवं 85%)	31.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	01	1.25	0.64	0.61 (49%)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	03	80.68	34.90	45.78 (57 से 100%)	31.03.22
5	सरायकेला	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	09	14.40	4.02	10.38 (43 से 100%)	30.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	65.00	26.21	38.79 (60%)	08.03.22 & 31.03.22
6	चतरा	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	03	0.85	0.24	0.61 (43 से 100%)	29.03.2022
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.03	0.00	0.03 (100%)	28.03.2022
7	दुमका	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	02	3.55	1.65	1.90 (49 एवं 100%)	31.03.22
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	03	1.55	0.11	1.44 (83 से 100 %)	31.03.22
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	02	65.04	27.29	37.75 (58 एवं 100%)	30.03.22
8	गोड्डा	का. अभि., ग्रा.वि.वि. प्र. का कार्यालय	03	3.15	1.28	1.87 (56 से 100%)	31.03.2022
		का. अभि. ग्रा.कार्य. वि. का कार्यालय	02	1.20	0.47	0.73 (48 एवं 100%)	31.03.2022
		का. अभि., रा.ग्रा.नि.यो. का कार्यालय	01	0.03	0.00	0.03 (100%)	31.03.2022
कुल			60	271.74	107.32	164.42 (61%)	

परिशिष्ट 3.11
व्यय का वेग (ग्रामीण विकास विभाग)
(संदर्भ: कंडिका 3.5.10)

(₹ लाख में)

जिला का नाम	सचिवालय/ प्रमंडल कार्यालय	लेखे शीर्ष/ उप-शीर्ष की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
राँची	राज्य (सरकार पक्ष)	4515-00-796-10	10,049.07	4,891.58	49
		4515-00-103-10	9,026.48	4,566.12	51
		4515-00-796-36	140.60	115.69	82
		4515-00-103-36	116.00	96.08	83
कुल			19,332.15	9,669.47	
राँची	अवर सचिव का कार्यालय ग्रामीण विकास विभाग (निर्माण संभाग), राँची	05	15.96	5.85	30 से 100
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	06	6.13	3.02	35 से 100
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	05	853.59	511.27	32 से 100
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.15	0.15	100
गिरिडीह	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	06	12.39	8.76	52 से 100
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	3,265.05	1,016.12	32 से 100
	का. अ. का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	02	39.48	17.40	44 एवं 77
हजारीबाग	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	6.99	2.80	35 से 54
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	05	3,268.03	1,016.95	39 से 100
धनबाद	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	04	5.21	3.24	42 से 81
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	1,927.61	1,051.19	45 से 100
सरायकेला-खरसांवा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	1.74	1.19	44 से 100
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	03	1.24	0.86	46 से 100
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	02	0.58	0.44	74 एवं 100
चतरा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	2.28	2.29	37 से 100
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	04	807.80	411.13	36 से 59
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.65	0.50	77
दुमका	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	5.57	2.77	39 से 72
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	02	1.27	0.51	39 एवं 100
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.55	0.50	91
गोड्डा	का. अ. का कार्यालय, ग्रा.वि.वि.प्र.	03	5.57	2.77	37 से 72
	का. अ. का कार्यालय, ग्रा. का. वि.	02	1.27	0.51	39 एवं 100
	निदेशक का कार्यालय, रा. ग्रा. नि. का.	01	0.55	0.50	91
कुल			10,229.66	4,060.72	40

परिशिष्ट 3.12
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन अभ्यर्पण
(संदर्भ: कंडिका 3.6.8)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	शेष राशि	अभ्यर्पित राशि
1	2245-01 (सुखा)	145.06	0	145.06	145.06
2	2245-02 (बाढ़, चक्रवात आदि.)	103.45	8.42	95.03	95.03
3	2245-80- सामान्य (वित्त आयोग के अनुशंसा के आधार पर क्षमता सम्वर्धन)	21.09	0.74	20.35	20.35
4	2245-80 (सामान्य)	511.70	349.64	162.06	162.06
5	2245-05 (रा.आ.रा.को.)	719.20	605.60	113.60	113.60
6	2245-21 (सेन्डाई फ्रेमवर्क)	0.20	0	0.20	0.20
7	2245-22 (एस.डी.एम.ए. का सुदृढिकरण)	1.60	0	1.60	1.60
8	2245-23 (क्षमता सम्वर्धन)	0.02	0	0.02	0.02
9	2235-01-001-01	2.65	2.21	0.44	0.44
10	2235-01-001-02	6.26	0	6.26	6.26
11	2245-02-101-10	200.00	0	200.00	200.00
12	2245-80-796-19	0.11	0	0.11	0
	कुल	1711.34	966.61	744.73	744.62

परिशिष्ट 3.13

रोकड़ पंजी तथा बैंक खाता के बीच आकड़ों की भिन्नता का विवरण
(संदर्भ:कंडिका 3.6.10)

(₹ राशि में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	शेष राशि (31 st मार्च 2021)	सामान्य रोकड़ पंजी (31 मार्च 2021 को समाप्ति के अनुसार)	सहायक रोकड़ पंजी (मुख्य शीर्ष 2245) (31 मार्च 2021 को समाप्ति के अनुसार)
1	बैंक ऑफ इंडिया	26,82,699.76	45,43,20,103.48	8,50,12,796.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	4,06,54,347.67		
3	बैंक ऑफ बडौदा	46,29,186.10		
4	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,65,36,747.41		
5	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8,76,963.97		
6	यू.बी.आई.मोरहावादी	3,36,633.00		
7	यू.बी.आई.राँची	4,14,527.43		
8	आई.सी.आई.सी.आई.	44,69,898.00		
9	पी.एन.बी.	46,83,153.16		
	कुल	7,52,84,156.50		
	अग्रिम	9,45,78,206.01		
	अभिभ्रव	28,44,19,477.00		
	सिंगल लॉक	38,263.97		

परिशिष्ट 4.1
बकाया डी.सी. विपत्र
(संदर्भ: कंडिका 4.6.3)

(₹ राशि में)

क्र.सं.	वर्ष	कोषागार कोड	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	ए.सी.विपत्र तारीख	ए.सी.विपत्र राशि
1	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	1,908
2	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	5,500
3	2000-2001	PLM	2515	3	31-03-2001	9,000
4	2000-2001	GRH	2515	3	29-03-2001	5,000
5	2000-2001	GRH	2515	3	31-03-2001	59,850
6	2003-2004	JMT	2515	1	31-03-2004	7,80,000
7	2003-2004	SBJ	2515	1	31-03-2004	10,06,000
8	2003-2004	DM₹	2515	1	31-03-2004	23,00,000
9	2003-2004	HZB	2515	3	31-03-2004	18,00,000
10	2005-2006	DRN	2515	201	08-03-2006	50,00,000
11	2005-2006	GRH	2515	215	30-03-2005	24,50,000
12	2005-2006	JMT	2515	215	27-03-2006	8,10,160
13	2005-2006	JMT	2515	215	28-03-2006	16,89,840
14	2005-2006	JSR	2515	201	31-03-2006	3,20,000
15	2005-2006	SBJ	2515	201	31-03-2006	3,30,000
16	2005-2006	SDG	2515	201	30-03-2006	2,30,000
17	2005-2006	SDG	2515	215	27-03-2006	2,50,000
18	2005-2006	SGH	2515	201	31-03-2006	5,40,000
19	2005-2006	DM₹	2515	201	31-03-2006	3,60,000
20	2010-2011	DGR	2515	20	30-03-2011	30,00,000
21	2011-2012	PCB	4515	19	31-03-2012	10,00,00,000
22	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	14,00,00,000
23	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	3,50,00,000
24	2012-2013	PCB	4515	19	01-03-2013	17,50,00,000
25	2014-2015	PCB	4515	15	09-03-2015	50,00,000
26	2014-2015	PCB	4515	15	09-03-2015	50,00,000
कुल						48,09,47,258

परिशिष्ट 4.2

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची

(संदर्भ: कंडिका 4.15)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2014-15
7.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21.	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25.	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26.	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
27.	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2020-21
28.	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16
41.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
43.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52.	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53.	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54.	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ एप्लीकेशन (जैप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56.	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57.	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58.	आई.टी. एवं इ-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61.	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2015-16
62.	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63.	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64.	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65.	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66.	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
66.	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
67.	पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	झारखण्ड राज्य धार्मिक ट्रस्ट परिषद,	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
68.	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
69.	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2019-20
70.	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
71.	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
72.	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैण्ड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
73.	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षित नहीं
74.	सूचना एवं जन संपर्क	सरकारी प्रेस	राँची	लेखापरीक्षित नहीं

स्रोत: महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय में अनुरक्षित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम रजिस्टर

परिशिष्ट 5.1

2021-22 के दौरान सी.ए.जी. लेखापरीक्षा के दायरे में आने वाली सरकारी कंपनियों/सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र. सं.	सा. क्षे. उपक्रम. का नाम	पंजीकरण/निगमन की तारीख	लेखा तैयार किया गया	लेखापरीक्षा पूरी की गई
उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जे.बी.वी.एन.एल)	23.10.2013	2020-21	2020-21
2	झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जे.यू.एस.एन.एल)	23.10.2013	2019-20	2019-20
3	झारखण्ड उर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जे.यू.यू.एन.एल)	23.10.2013	2020-21	2020-21
उर्जा (गैर-कार्यात्मक)				
4	झारखण्ड कोलियरी लिमिटेड (गैर-कार्य) (जे.सी.एल.)	18.06.2009	2020-21	2020-21
5	पतरातु उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (पी.ई.एल)	26.10.2012	2021-22	2020-21
6	कर्णपुरा उर्जा लिमिटेड (गैर-कार्य) (के.ई.एल)	19.09.2008	2020-21	2020-21
गैर - उर्जा (कार्यात्मक)				
1	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.03.2002	2021-22	2021-22
2	ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेन्सी लिमिटेड	10.01.2003	2020-21	2020-21
3	झारखण्ड इंडिस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.12.2004	2019-20	2018-19
4	झारखण्ड रेशम वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	23.08.2006	2020-21	2019-20
5	झारखण्ड अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	19.11.2013	2019-20	2019-20
6	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	27.09.2016	2019-20	2019-20
7	झारखण्ड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	06.07.2018	2020-21	2020-21
8	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना खरीद विकास निगम लिमिटेड	24.05.2013	2019-20	2019-20
9	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	20.01.2016	2019-20	2019-20
10	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड*	30.09.2016	2020-21	2020-21

* 2020-21 से ऑडिट का जिम्मा दिया गया

परिशिष्ट 5.2

क्रियाशील सा.क्षे.उ. के तीन वर्षों से अधिक के बकाया लेखे/पहले लेखाओं की अप्राप्ती/अदेय का विवरण
(संदर्भ: कंडिका 5.4)

क्र.सं.	एस.पी.एस.ई. का नाम		नवीनतम पूर्ण लेखा की अवधि
सरकारी कम्पनी			
उर्जा			
1	झारखण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड	16.09.2013	2015-16
2	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	26.11.1987	2015-16
गैर-उर्जा			
3	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	22.03.2002	2009-10
4	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	15.03.2012	2015-16
5	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	07.05.2002	2015-16
6	झारखण्ड राज्य बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड	26.11.2010	2015-16
7	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	22.03.2002	2016-17
8	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	27.03.2002	2017-18
9	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड*	28.01.2017	2018-19
10	झारखण्ड शहरी परिवहन कारपोरेशन लिमिटेड	20.09.2016	2017-18
11	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	05.12.2015	2018-19
12	झारखण्ड फिल्म विकास निगम लिमिटेड	07.09.2016	2018-19
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड	17.11.2016	2018-19
14	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	18.06.2010	गठन के समय से लंबित
15	अटल बिहारी वाजपेयी नवाचार प्रयोगशाला	26.12.2018	

* पी.एस.ई., जिन्होंने अपने पहला लेखा/जमा/अंतिम रूप नहीं दिया है।

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व}/2)*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निर्बंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सव्मिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उदयाहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मदें जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर